राजस्व लोक अदालत केम्प कांकराला तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा 2018/00203

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस मुकदमा न0 49/2018

वादीगण :– गंगाराम पुत्र लच्छाराम जाति मेगवाल निवासी साजियाली पदमसिंह प्रथम

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. बाबूराम 2. केहनाराम 3 वागाराम 4. चनणाराम पुत्रान लच्छाराम
5. धर्मो देवी पत्नि लच्छराम जातियान मेगवाल निवासी साजियाली पदमसिंह प्रथम
6. जरिये तहसीलदार पचपदरा

88 आर.टी.ए **दावा बाबत घोषणा**

निर्णय दिनांक:–04.05.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंहमें प्रस्तुत किया गया की वादी गंगाराम के पिता की मृत्यु होने से राजस्व ग्राम साजियाली पदमसिह प्रथम में नामान्तरकरण 617 भरते समय वादी गंगाराम का नाम छोड दिया गया जो की अन्य वारिसायन प्रतिवादी का नाम दर्ज किया गया । जब कि वादी का नाम भी दर्ज होना चाहिये था। वादी का नाम भी दर्ज करने हेतु वाद पेश किया गया है।

जिस पर उपस्थित उक्त वाद पत्र के संबंध मे पटवारी/उप तहसीलदार पाटोदी की संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त की गई। आधार कार्ड

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । वादी के प्रस्तुत वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज व पटवारी/ तहसीलदार तहसीलदार/ की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम साजियाली पदमसिंह प्रंथम नामान्तरकरण 617 फौतगी भरते समय वादी का नाम दर्ज होना रह गया।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है ग्राम साजियाल पदमसिंह प्रथम के खसरा न0 210 रकबा 8 बीघा, ख0न0 228 रकबा 184 बीघा कुल रकबा 192 बीघा में लच्छाराम के हिस्से में बाबूराम, केहनाराम, वागाराम, चनणाराम, धर्मोदेवी के साथ वादी का नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद करे शेष खातेदारों के नाम व हिस्से यथावत रहेगे। डिकी पर्चा जारी हों।

निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..

Scanned by CamScanner